

06 $\frac{4}{22}$

उत्तमपत्रावली पेश हुई। मूल खाद NOT
पत्र में खाद दिया जा चुका है अतः
उत्तमपत्र 212 को आगे चलाने का कोई
औचित्य नहीं है। उत्तमपत्र 212 RFA में
हो भी NFA पत्र में खाद दिया जाता
है। पत्रावली में कुल शुमार होकर मूल खाद
के साथ संलग्न रहे।

उपस्थंड अधिकारी
बहरोड़ (अलवर) राज०

Not Procs
20/11/22